

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 173539

पटना, दिनांक 09-01-14

ग्रा.वि.-5/इं0आ0यो0(cpsms)-102-10/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

संयुक्त महालेखा नियंत्रक,
(सी0पी0एस0एम0एस0),
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

विषय :- CPSMS के अंतर्गत DBT प्रणाली के माध्यम से अरवल जिला के सभी प्रखण्डों में इंदिरा आवास के लाभार्थियों को सहायता राशि भुगतान करने की व्यवस्था के संबंध में ।


प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-171508 दिनांक-16.12.13

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास के लाभार्थियों को सहायता राशि भुगतान करने की व्यवस्था CPSMS के अंतर्गत किये जाने के निमित्त DBT प्रणाली लागू करने हेतु अरवल जिला में Proof of Concept करने के बाद उप महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इंदिरा आवास के तीन लाभार्थियों को प्रथम किस्त की सहायता राशि का हस्तांतरण CPSMS के अंतर्गत DBT प्रणाली के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया है । वस्तुतः इस प्रणाली के लागू हो जाने से लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान करने से पूरी पारदर्शिता रहेगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि CPSMS के अंतर्गत DBT प्रणाली के माध्यम से अरवल जिला के सभी प्रखण्डों में इंदिरा आवास के लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान कराने की व्यवस्था की जाय ।

विश्वासभाजन


6-1-14
(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

जापांक 173539

पटना, दिनांक 09-01-14

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- अपर सचिव (श्री एस0एम0विजयानंद), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


6-1-14
सरकार के सचिव